न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 191/2015

1. गुरिन्द्रपालसिंह पुत्र सतवंतसिंह निवासी 5 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद धर्मकोट तहसील जीरा जिला मोगा (पंजाब)
2. सरविन्द्रपालसिंह पुत्र सतवंतसिंह निवासी 5 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद धर्मकोट तहसील जीरा जिला मोगा (पंजाब)

अपीलार्थीगण

बनाम

1. अजय ग्रेवाल पुत्र रूपेन्द्रबचनसिंह जाति जटसिख निवासी 5 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल–आर्मी में लैफ्टिनेन्ट कर्नल बठिण्डा (पंजाब) जरिये मुख्त्यारखास अभयवचन सिंह पुत्र रूपेन्द्रवचनसिंह जाति जटसिख निवासी 5 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
2. जसवंतकौर पुत्री बलवंतसिंह निवासी 35 हकीकत रोड़ जालन्धर कैन्ट (पंजाब)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसील श्रीगंगानगर ।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर 14.11.2017

उपस्थितिः–

श्री मनोहरलाल माहर अभिभाषक अपीलार्थी।

श्री रामप्रकाश गुप्ता, अभिभाषक संख्या 1

श्री प्रदीप सिहाग रेस्पो संख्या 2

श्री महावीर धारणिया, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 04.06.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पो. संख्या 1 ने एक वाद उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष पेश किया जिसके साथ रा.का.अ. की

4/6/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

धारा 212 का प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध वाद के निर्णय तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया कि वे चक 5 ए छोटी के मु.न. 19 की 25 बीघा भूमि प्रार्थी के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप नहीं करे, रहन बैय आदि से मुन्तकिल नहीं करे तथा मौका व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे । अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

सुनवाई करने के पश्चात अधी.न्यायालय ने दिनांक 14.11.2017 को दिनांक 04.04.2014 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को वादी के निर्णत कि स्थाई करने के आदेश दिये गये । जिसके विरूद्ध अप्रार्थी/ अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पो. संख्या के वाद का मुख्य आधार वसीयत दिनांक 26.11.1990 है जो मृतक सेवाकौर ने रेस्पो. संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित की थी । जबकि सेवाकौर को प्राप्त प्रश्नगत कृषि भूमि का इन्तकाल संख्या 59 सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका जो माननीय राजस्व मंडल के निर्णय दिनांक 24.06.2011 में अन्तिम हो चुका है इस प्रकार जब सेवाकौर को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं है तो रेस्पो.संख्या1 का कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है इसके विपरीत अपीलार्थी के पक्ष में खातेदार मृतक बलवंतसिंह ने पंजीबद्ध वसीयत दिनांक 04.11.1970 से निष्पादित की गई थी । जिसके आधार पर अपीलार्थी प्रतिवाद पत्र के जरिये घोषित किये जाने का अधिकारी है । इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला अपीलार्थी के पक्ष साबित है। रेस्पो. के वाद का मुख्य आधार वसीयत दिनांक 30.12.1972 है जिसका पंजीकरण 20 वर्ष बाद करवाया है वसीयत पश्चातवर्ती सोच के बाद तैयार की गई है। अपीलार्थीगण के पक्ष में निष्पादित वसीयत दिनांक 04.11.1970 के आधार पर पंजाब की समस्त चल व अचल सम्पति अपीलार्थीगण को प्राप्त हुई है। अपीलाधीन आदेश धारा 212 आरटीए के तीनों कारकों का विवेचन किये बिना

4/6/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

पारित किया है। रेस्पोडेन्ट का किसी प्रकार से मामला नहीं बनता था फिर भी अधी.न्यायालय ने प्रार्थन पत्र स्वीकार कर लिया । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाक र अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी.न्यायालय ने मौका एवं रेकार्ड की यथास्थिति तथा रहन बैय नहीं करने का आदेश दिया है।विवादित भूमि बलवंतसिंह ने जरिये बैयनामा कय की थी बलवंतसिंह ने उक्त भूमि की वसीयत अपने जीवनकाल में अपनी पत्नी सेवाकौर के नाम कर दी, सेवा कौर ने उक्त भूमि की वसीयत प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 26.11.1990 को कर दी सेवा कौर की मृत्यु के पश्चात विवादित भूमि पर काबित चला आ रहा है। इस प्रकार से हर प्रकार से मामला प्रार्थी के पक्ष में था । अधी.न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कोई विधिक भूल नहीं की है अतः अपील खारिज की जावे । अपने पक्ष के समर्थन में वकील रेस्पो. ने 1993 आरआरडी 80, 2017 आरआरडी 201, 2002 आरआरडी 280, 1998 आरआरडी 254, 2011 आरआरडी 616, 2016 आरआरडी 580 की नजीरे पेश की ।

उभय पक्ष बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी.न्यायालय ने अपने अपने निर्णय में धारा 212 आरटीए के तीनों कारकों यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय बिन्दु में से एक का भी विवेचन अपने निर्णय में नहीं किया है जो कि किया जाना आवश्यक है। वादग्रस्त आराजी का Key person बलवंतसिंह होकर उसकी मृत्यु के पश्चात सिलसिलेवार वसीयतों के आधार पर विवाद विनिश्चय हेतु वाद अधी.न्यायालय में विचाराधीन है एवं राजस्व रेकार्ड में मूल व्यक्ति बलवंतसिंह का नाम आज भी विद्यमान है जो सक्षम न्यायालयों में निर्णय के पश्चात किसके हक में तय होगा यह अनिश्चित है साथ ही राजस्व रेकार्ड में अपीलांट एवं रेस्पो. का स्टेटस एक समान है । ऐसी स्थिति में दोनों में से एक को धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र पर अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार

4/6/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

योग्य होने से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.11.2017 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04.06.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

4/6/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
(श्रीगंगानगर/नोहर)